

भारत में बालिका शिक्षा: नीति, प्रगति और भविष्य

डा० सरिता आर्या

ओम बायो साइंस एण्ड फार्मा कॉलेज

(फैकल्टी ऑफ बी०एड०)

ग्राम – पंचायनपुर, पो.ऑ. – दौलतपुर, तहसील – रुड़की,

जनपद – हरिद्वार

सार

भारत में बालिका शिक्षा पिछले कुछ दशकों में प्रगतिशील नीतिगत ढाँचों, सरकारी पहलों और लैंगिक समानता के प्रति बढ़ती जन जागरूकता के कारण उल्लेखनीय रूप से विकसित हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसे कार्यक्रमों ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं के नामांकन, साक्षरता और प्रतिधारण दर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रगतियों के बावजूद, उच्च ड्रॉपआउट दर, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता जैसी चुनौतियाँ, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में, बनी हुई हैं। यह अध्ययन बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए नीतिगत उपायों का विश्लेषण करता है, नामांकन और साक्षरता दर जैसे प्रमुख संकेतकों के माध्यम से प्रगति का मूल्यांकन करता है, और शैक्षिक समानता में बाधा डालने वाली मौजूदा बाधाओं की पहचान करता है। यह शोधपत्र बालिका शिक्षा में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास, सामुदायिक सहभागिता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नीति मूल्यांकन पर केंद्रित रणनीतिक हस्तक्षेपों का प्रस्ताव करता है। अंततः, निष्कर्ष इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण न केवल सामाजिक न्याय का विषय है, बल्कि राष्ट्रीय विकास और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण चालक भी है।

मुख्य शब्द: बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, शैक्षिक नीति।

1. परिचय

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है, और विशेष रूप से बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास और सतत विकास प्राप्त करने की आधारशिला का काम करती है। भारत में, बालिकाओं की शिक्षा को लंबे समय से राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता रहा है, जो न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण को बल्कि व्यापक सामाजिक कल्याण को भी प्रभावित करती है। पिछले कुछ दशकों में, देश ने प्रगतिशील सरकारी नीतियों, कानूनी ढाँचों और जागरूकता अभियानों द्वारा संचालित बालिकाओं की शिक्षा तक पहुँच में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21-ए का समावेश, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क

और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन, इस यात्रा में महत्वपूर्ण रहे हैं।

हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, शिक्षा में लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं, खासकर ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में। सामाजिक मानदंड, आर्थिक बाधाएँ, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ प्राथमिक स्तर से आगे स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी और ठहराव में बाधा बन रही हैं। इन चुनौतियों को समझते हुए, सभी लड़कियों के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी पहल शुरू की गई हैं। ये कार्यक्रम आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लिंग-संवेदनशील पाठ्यक्रम, वित्तीय सहायता, सामुदायिक जागरूकता और संस्थागत समर्थन पर जोर देते हैं।

1.1 अध्ययन के उद्देश्य

- भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले नीतिगत ढाँचों और सरकारी पहलों का विश्लेषण करना।
- विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर लड़कियों के नामांकन, साक्षरता और ठहराव दरों में प्रगति और उपलब्धियों का आकलन करना।
- लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना और शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए रणनीतिक उपायों का प्रस्ताव करना।

2. साहित्य समीक्षा

साहू (2016) ने बालिकाओं की शिक्षा की मौजूदा स्थितियों की जाँच की और सामाजिक मानदंडों, बाल विवाह, गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों तक सीमित पहुँच जैसी प्रमुख बाधाओं की पहचान की। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सरकारी पहलों के बावजूद, विशेष रूप से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर, लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं। साहू ने बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार के लिए लक्षित नीतियों, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और वित्तीय प्रोत्साहनों के महत्व पर बल दिया।

स्पलिंग और विन्थ्रोप (2015) ने बालिकाओं की शिक्षा में प्रभावी रणनीतियों की वैश्विक समीक्षा की और शैक्षिक परिणामों पर निवेश के प्रभाव का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन ने प्रदर्शित किया कि लैंगिक-संवेदनशील पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता पर केंद्रित नीतियों ने बालिकाओं के नामांकन, सीखने के परिणामों और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि की। लेखकों ने तर्क दिया कि बालिकाओं की शिक्षा में निवेश ने न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाया, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, कम गरीबी और बढ़ी हुई आर्थिक उत्पादकता सहित व्यापक सामाजिक लाभ भी उत्पन्न किए।

शाह (2015) ने भारतीय स्कूलों में लड़कियों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को समझने के लिए फोटोवॉयस जैसी नवीन सहभागी विधियों की खोज की। अध्ययन से पता चला कि नीति-निर्माण और शैक्षिक डिजाइन में लड़कियों की आवाज को अक्सर कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। छात्रों को अपने स्वयं के शैक्षिक अनुभवों के दस्तावेजीकरण और उन पर चिंतन में शामिल करके, इस शोध ने समावेशी दृष्टिकोणों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो लड़कियों की स्कूली शिक्षा के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं पर विचार करते हैं। शाह ने निष्कर्ष निकाला कि लड़कियों के दृष्टिकोणों को शामिल करने से शिक्षा में सुधार हो सकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की संलग्नता, प्रेरणा और समग्र प्रभावशीलता।

चटर्जी, एट अल. (2020) ने ग्रामीण बालिका विद्यालयों में शिक्षण और अधिगम के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को अपनाने की जाँच की। उनके अनुभवजन्य अध्ययन से पता चला कि डिजिटल उपकरणों ने शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच में सुधार किया, इंटरैक्टिव अधिगम को सुगम बनाया और छात्रों के बीच बेहतर सहभागिता में योगदान दिया। शोध में शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना और प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रभावित करने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया। लेखकों ने सुझाव दिया कि मोबाइल शिक्षा को पारंपरिक शैक्षणिक दृष्टिकोणों के साथ एकीकृत करने से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अंतराल को पाटने और लड़कियों की स्कूल में निरंतर भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

3. नीतिगत ढाँचा

भारत सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए हैं। ये नीतियाँ पहुँच, प्रतिधारण, शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक बाधाओं जैसे मुद्दों को संबोधित करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश भर में बालिका शिक्षा के लिए एक सहायक और समावेशी वातावरण बनाना है।

3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, समानता और समावेशन पर जोर देते हुए, भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है। एनईपी 2020 का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियों, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों की लड़कियों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने और उसे जारी रखने के समान अवसर प्राप्त हों।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नीति एक लैंगिक समावेशन निधि की स्थापना करती है, जो लड़कियों, ट्रांसजेंडर छात्रों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए एक समर्पित वित्तीय संसाधन है। इस निधि का उपयोग छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने वाली आर्थिक बाधाओं को कम करना है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण या वंचित क्षेत्रों के स्कूल मुफ्त यूनिफॉर्म,

पाठ्यपुस्तकों और मध्याह्न भोजन प्रदान कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाधाओं के कारण लड़कियां स्कूल न छोड़ें।

नीति लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के महत्व पर भी जोर देती है, खासकर दूरदराज के इलाकों में जहाँ शिक्षा की पहुँच सीमित है। सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करके, इन उपायों का उद्देश्य सुरक्षा चिंताओं, लंबी यात्रा दूरी या सामाजिक दबावों के कारण होने वाली स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। इसके अलावा, एनईपी 2020 पाठ्यक्रम में लचीलेपन को प्रोत्साहित करता है, जिससे लड़कियों को अपनी रुचियों और भविष्य के करियर लक्ष्यों के अनुरूप विषय चुनने की अनुमति मिलती है। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 'जुड' विषय और जीवन कौशल कार्यक्रम शामिल हैं, जो जुड़ाव, प्रेरणा और समग्र प्रतिधारण को बढ़ाने में मदद करते हैं।

इन रणनीतियों के माध्यम से, एनईपी 2020 का उद्देश्य नामांकन में लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी स्तरों पर लड़कियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, जिससे उनके सशक्तीकरण और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान हो।

3.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

2015 में शुरू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) पहल लैंगिक भेदभाव और शैक्षिक असमानता दोनों को संबोधित करती है। हालाँकि इस कार्यक्रम का प्रारंभिक ध्यान बाल लिंगानुपात में सुधार पर था, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शैक्षिक घटक भी शामिल है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियाँ न केवल जन्म लें, बल्कि जीवित रहें, फलें-फूलें और समाज में सक्रिय रूप से भाग लें।

यह योजना जागरूकता अभियानों और गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक प्रथाओं को रोकने पर जोर देती है। कानूनी प्रवर्तन के अलावा, बीबीबीपी पोषण, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षित स्कूली शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करके लड़कियों के स्वास्थ्य, अस्तित्व और सुरक्षा को बढ़ावा देती है।

शिक्षा, बीबीबीपी का एक केंद्रीय घटक है। यह कार्यक्रम लड़कियों के स्कूलों में नामांकन को प्रोत्साहित करता है और विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने का प्रयास करता है। छात्रवृत्ति और स्कूल की आपूर्ति के लिए सहायता सहित वित्तीय प्रोत्साहन, परिवारों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा, बीबीबीपी जागरूकता अभियानों और सामाजिक लामबंदी कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों को जोड़ता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण बदलने और लड़कियों की शिक्षा के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है।

कई जिलों में बीबीबीपी का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसमें बाल लिंग अनुपात में सुधार, लड़कियों के स्कूल नामांकन में वृद्धि और लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में सामुदायिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। सामाजिक, वित्तीय और कानूनी उपायों को मिलाकर, बीबीबीपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी व्यापक नीतिगत पहलों का प्रभावी ढंग से पूरक है, जो लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करती है।

4. प्रगति और उपलब्धियाँ

पिछले दो दशकों में, भारत ने लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच में सुधार लाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारी नीतियों, सामाजिक जागरूकता अभियानों और सामुदायिक भागीदारी के संयुक्त प्रयासों से लड़कियों के नामांकन, प्रतिधारण और साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ क्षेत्रों में लगातार चुनौतियों के बावजूद, समग्र रुझान शिक्षा में लैंगिक समानता की ओर एक क्रमिक बदलाव को दर्शाता है।

4.1. नामांकन दर

भारत भर के स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। विश्व बैंक (2023) के आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 112% है, जो दर्शाता है कि लगभग सभी स्कूली आयु की लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा में नामांकित हैं, जिनमें कुछ अधिक आयु या कम आयु की छात्राएँ भी शामिल हैं जो देर से प्रवेश या कक्षा में दोहराव के कारण शामिल हैं। यह उपलब्धि प्रारंभिक शिक्षा पहलों और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और मध्याह्न भोजन योजना जैसी नीतियों की सफलता को दर्शाती है, जिन्होंने स्कूली शिक्षा को परिवारों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बना दिया है।

हालाँकि, शिक्षा के उच्च स्तर पर जीईआर में उल्लेखनीय गिरावट आती है। माध्यमिक स्तर पर, जीईआर 48% तक गिर जाता है, और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और भी कम होकर 35% हो जाता है। यह गिरावट, विशेष रूप से किशोर लड़कियों में, स्कूल छोड़ने की दर की लगातार चुनौतियों को उजागर करती है, जो अक्सर सामाजिक मानदंडों, कम उम्र में विवाह, घरेलू जिम्मेदारियों और सुरक्षित परिवहन या लिंग-संवेदनशील बुनियादी ढाँचे तक पहुँच की कमी के कारण होती है। इस अंतर को पाटने के लिए न केवल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, बल्कि निरंतर सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है।

तालिका 1: शिक्षा स्तर के अनुसार सकल नामांकन अनुपात (2023)

शिक्षा स्तर	सकल नामांकन अनुपात
प्राथमिक	112
माध्यमिक	48

आँकड़े बताते हैं कि भारत ने लड़कियों के लिए लगभग सार्वभौमिक प्राथमिक नामांकन प्राप्त कर लिया है, फिर भी उच्च शिक्षा में उनका प्रवेश और उसे पूरा करना सुनिश्चित करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करना और मुक्त विद्यालयी शिक्षा जैसे लचीले शिक्षण विकल्प शुरू करना इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

4.2. साक्षरता दर

प्रगति का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक महिला साक्षरता दर में सुधार है। 2021 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं में साक्षरता दर लगभग 91.95% तक पहुँच गई है, जो पिछले दशकों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है, जब महिला साक्षरता 60% से कम थी। यह सुधार विभिन्न शैक्षिक सुधारों और जागरूकता कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है, जिन्होंने महिला साक्षरता और आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित किया है।

तुलनात्मक रूप से, पुरुष साक्षरता 96.2% है, जो दर्शाता है कि साक्षरता में लैंगिक अंतर काफी कम हो गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम), साक्षर भारत और बेंटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों ने साक्षरता में लैंगिक असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। महिलाओं में बढ़ती साक्षरता दर न केवल शैक्षिक सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता, वित्तीय स्वतंत्रता और सामुदायिक नेतृत्व के साथ भी सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है।

तालिका 2: लिंग के आधार पर साक्षरता दर (2021)

लिंग	साक्षरता दर
महिला	91.95
पुरुष	96.20

साक्षरता में घटता लैंगिक अंतर महिला शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है। अब ज्यादा से ज्यादा परिवार बेटियों की शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों को समझ रहे हैं, जैसे बेहतर करियर की संभावनाएँ, गरीबी का स्तर कम होना और शादी की उम्र में देरी।

4.3. सरकारी योजनाएँ और उनका प्रभाव

लड़कियों की शिक्षा में हुई प्रगति में सरकारी योजनाओं की अहम भूमिका रही है। कई कार्यक्रम स्कूलों में लड़कियों के नामांकन और पढ़ाई जारी रखने को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए एक दीर्घकालिक बचत योजना प्रदान करती है, जो परिवारों को अपनी बेटियों को दायित्व के बजाय संपत्ति के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार, माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को प्राथमिक स्तर से आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करके और लड़कियों की शिक्षा के लिए एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देकर इन पहलों का पूरक है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप कई राज्यों में नामांकन अनुपात में वृद्धि, स्कूल छोड़ने की दर में कमी और लैंगिक समानता सूचकांक में सुधार सहित मापनीय परिणाम सामने आए हैं।

तालिका 3: बालिका शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएँ

योजना का नाम	उद्देश्य
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	लिंग-भेदभावपूर्ण लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना
सुकन्या समृद्धि योजना	बालिकाओं के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना	वित्तीय सहायता के माध्यम से बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना

इन पहलों ने न केवल पहुँच में सुधार किया है, बल्कि युवा महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता में भी योगदान दिया है। जैसे-जैसे नामांकन और साक्षरता दर बढ़ रही है, अधिक लड़कियाँ उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जिससे धीरे-धीरे ग्रामीण और शहरी भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है।

5. चुनौतियाँ

भारत में लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, कई लगातार चुनौतियाँ शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में बाधा बन रही हैं। ये चुनौतियाँ बहुआयामी हैं, जिनमें सामाजिक,

आर्थिक, अवसंरचनात्मक और गुणवत्ता-संबंधी आयाम शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धि और दीर्घकालिक सशक्तिकरण को प्रभावित करते हैं।

- स्कूल छोड़ने की दर

भारत में लड़कियों की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, उच्च स्कूल छोड़ने की दर का मुद्दा बना हुआ है, खासकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में संक्रमण एक महत्वपूर्ण चरण बना हुआ है जहाँ कई लड़कियाँ शिक्षा प्रणाली छोड़ देती हैं। यूनेस्को (2023) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18% लड़कियाँ माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं। कम उम्र में शादी, आर्थिक तंगी और घरेलू जिम्मेदारियाँ इसके प्रमुख कारणों में से हैं। कई परिवारों में, लड़कियों से घर के कामों में मदद करने या छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके स्कूल जाने का समय और अवसर सीमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक धारणा कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश से लड़कों की शिक्षा की तुलना में कम आर्थिक लाभ मिलता है, इस लगातार समस्या को और बढ़ा देती है।

- बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा

बुनियादी ढाँचे की कमी लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाली एक और बड़ी बाधा है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में। कई स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, कार्यात्मक कक्षाएँ और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हालाँकि, सबसे गंभीर मुद्दों में से एक लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय सुविधाओं का अभाव है। नीति आयोग की 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण भारत के केवल 65% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं, जिसके कारण मासिक धर्म के दौरान वे अनुपस्थित रहती हैं और स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि होती है। इसके अलावा, व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंताएँ, जिनमें आवागमन के दौरान या स्कूल परिसर में उत्पीड़न शामिल है, माता-पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से रोकती हैं। सुरक्षित परिवहन और अच्छी तरह से निगरानी वाले वातावरण का अभाव प्राथमिक स्तर से आगे की शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करता रहता है।

- शिक्षा की गुणवत्ता

हालांकि नामांकन बढ़ाने के प्रयास काफी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। कई सरकारी स्कूल अपर्याप्त शिक्षण संसाधनों, पुराने पाठ्यक्रम और अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण से जूझ रहे हैं। खासकर छात्राओं को तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब शिक्षण पद्धतियाँ उनकी सीखने की जरूरतों के अनुरूप नहीं होतीं या जब शिक्षक लिंग-विशिष्ट चुनौतियों के प्रति संवेदनशील नहीं होते। शिक्षकों की उच्च अनुपस्थिति, सुधारात्मक सहायता की कमी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों की अपर्याप्त पहुँच से भी लड़कियों के सीखने

के परिणाम प्रभावित होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लड़कियाँ न केवल शिक्षा में भाग लें बल्कि उससे लाभान्वित भी हों, शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षक जवाबदेही और शिक्षण सामग्री तक पहुँच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।

6. भविष्य की दिशाएँ

यद्यपि भारत ने लक्षित नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए निरंतर और दूरदर्शी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भागीदारी में सुधार के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना आवश्यक है। अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित चारदीवारी, अच्छी रोशनी वाले परिसर और सुरक्षित परिवहन सहित लिंग-अनुकूल सुविधाओं में निवेश, अनुपस्थिति और अभिभावकों की चिंताओं को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा, डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता, सिलाई और स्वास्थ्य सेवा कौशल जैसे व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण को एकीकृत करने से शिक्षा अधिक सार्थक हो सकती है, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ सकती है और लड़कियों में स्कूल में बने रहने की क्षमता में सुधार हो सकता है।

सक्रिय सामुदायिक सहभागिता और सुदृढ़ निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जागरूकता अभियान, स्थानीय नेताओं की भागीदारी, महिला स्वयं सहायता समूह और शिक्षित महिला आदर्शों को बढ़ावा देने से सामाजिक मानदंडों को बदलने और परिवारों को अपनी बेटियों की शिक्षा को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी पहलों का नियमित मूल्यांकन, आँकड़ों पर आधारित निर्णय लेने और हितधारकों की भागीदारी द्वारा समर्थित, लड़कियों के लिए शैक्षिक परिणामों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार सुनिश्चित करेगा।

7. निष्कर्ष

भारत में लड़कियों की शिक्षा उल्लेखनीय प्रगति और निरंतर चुनौतियों के चौराहे पर खड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी सरकारी पहलों ने पहुँच, नामांकन और साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार किया है, जो शिक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। हालाँकि, बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी बाधाएँ भी हैं। शिक्षा, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, सामाजिक मानदंड और सीखने की असमान गुणवत्ता इन लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा बन रही है। शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए न केवल नीति सुदृढीकरण की आवश्यकता है, बल्कि सामूहिक सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है—जहाँ परिवार, समुदाय और संस्थान लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का सक्रिय रूप से समर्थन करें। स्कूल के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना और मजबूत निगरानी प्रणालियों को लागू करना समावेशी शिक्षा के लिए एक

स्थायी ढाँचा तैयार कर सकता है। अंततः, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि एक अधिक समतामूलक, समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

1. ऐथल, पी. एस., और ऐथल, एस. (2019)। भारत में उच्च शिक्षा का विश्लेषण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव 2019 और इसके कार्यान्वयन की चुनौतियाँ। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लेटर्स (प्रो/मडस)*, 3(2), 1–35।
2. भट, आर. ए. (2015)। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस*, 6(10), 188–191.
3. चटर्जी, एस., मजूमदार, डी., मिश्रा, एस., और दामाशेविकियस, आर. (2020)। भारत में ग्रामीण बालिका विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को अपनाना एक अनुभवजन्य अध्ययन। *शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी*, 25(5), 4057–4076.
4. चटर्जी, एस., मजूमदार, डी., मिश्रा, एस., और दामाशेविकियस, आर. (2020)। भारत में ग्रामीण बालिका विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को अपनाना एक अनुभवजन्य अध्ययन। *शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी*, 25(5), 4057–4076.
5. देजाघरे, जे., और अरुर, ए. ए. (2020)। सभी के लिए शिक्षारू ग्रामीण भारत में निम्न जाति की लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा कैसे सामाजिक बदलाव ला रही है। *जेंडर एंड सोसाइटी*, 34(6), 951–975।
6. हीथ, आर., और जयचंद्रन, एस. (2016)। विकासशील देशों में महिला शिक्षा और श्रम बल में बढ़ती भागीदारी के कारण और परिणाम (सं. 22766)। *राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो*।
7. जन, एस. के. (2020)। भारत में शिक्षारू लक्ष्य और उपलब्धियाँ। *सतत विकास लक्ष्य एक भारतीय परिप्रेक्ष्य (पृष्ठ 57–77)। चौमरू स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग*।
8. मजूमदार, एम. (2021)। प्राप्ति तक पहुँचरू समकालीन भारत में लड़कियों की स्कूली शिक्षा से। *भारत में जेंडर और शिक्षा (पृष्ठ 190–205)। रूटलेज*।
9. मुरलीधरन, के., और प्रकाश, एन. (2017)। स्कूल जाने के लिए साइकिल चलानारू भारत में लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाना। *अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नलरू एप्लाइड इकोनॉमिक्स*, 9(3), 321–350.
10. पॉल, पी. (2019)। भारत में बालिका विवाह की व्यापकता पर शिक्षा और गरीबी का प्रभाव एक जिला-स्तरीय विश्लेषण। *बाल एवं युवा सेवा समीक्षा*, 100, 16–21.
11. साकी, एस., हैबरलैंड, एन., कोजाक, एम. एल., और वोयचिन्स्की, एल. (2021)। *बालिका शिक्षा रोडमैप 2021 रिपोर्ट*।

12. साहू, एस. (2016). भारत में बालिका शिक्षारू स्थिति और चुनौतियाँ. अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 6(7), 130–141.
13. शाह, पी. (2015). बोलने के अवसररू फोटोवॉयस और भारत में बालिका शिक्षा की पुनर्कल्पना. तुलनात्मक शिक्षा समीक्षा, 59(1), 50–74.
14. स्पर्लिंग, जी. बी., और विन्थ्रोप, आर. (2015). लड़कियों की शिक्षा में क्या कारगर हैरू दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेश के प्रमाण। ब्लूमसबरी पब्लिशिंग, यूएसए।
15. वरुघीसे, ए. आर., और बैराग्य, आई. (2020). भारत में समूह-आधारित शैक्षिक असमानताएँरू क्या प्रमुख शिक्षा नीतिगत हस्तक्षेप प्रभावी रहे हैं?। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 73, 102159।